

राजस्थान सरकार  
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.11(31)वित्त/आब/2017

जयपुर, दिनांक: 12.06.2019

आदेश


राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974 के नियम 11 के अधीन गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश दिनांक 21.07.2017 के अनुसार श्री नूर मोहम्मद जिला आबकारी अधिकारी(सामान्य वेतनमान) के विरुद्ध एस0बी0सिविल रिट याचिका 6440/2008 श्री एस. पी. रंगा बनाम सरकार में हुए निर्णय दिनांक 20.08.2008 के विरुद्ध अपील नहीं करने के आरोप में सीसीए नियम-17 के अन्तर्गत नोटिस क्रमांक 273 दिनांक 12.02.2013 जारी होकर विचाराधीन होने के कारण प्रकरण में दोषमुक्त होने के अन्तिम निर्णय के अध्यक्ष श्री नूर मोहम्मद को रिक्ति वर्ष 2017-18 में उपायुक्त/जिला आबकारी अधिकारी(वरिष्ठ वेतनमान) के पद पर पदोन्नति हेतु अनुशंषा सील कवर की गयी थी।

प्रकरण में जारी नोटिस दिनांक 12.02.2013 को आबकारी आयुक्त के आदेश क्रमांक 1521 दिनांक 04.12.2017 एवं आदेश क्रमांक 2015 दिनांक 29.05.2019 द्वारा समाप्त किये जाने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश दिनांक 21.07.2017 के अनुसार श्री नूर मोहम्मद को वर्ष 2017-18 की रिक्ति में पदोन्नति हेतु योग्य पाया गया तथा रिक्ति वर्ष 2017-18 (रिक्ति दिनांक 19.07.2017) में इन्हें उपायुक्त/जिला आबकारी अधिकारी(वरिष्ठ वेतनमान) के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

उपायुक्त/जिला आबकारी अधिकारी(वरिष्ठ वेतनमान) के पद पर श्री नूर मोहम्मद की वरिष्ठता श्री सत्यनारायण परेवा (पदोन्नति वर्ष 2017-18) के नाम के नीचे रहेगी।


संबंधित अधिकारी कमोन्नत/कमावनत पद पर अविलम्ब कार्य ग्रहण कर पालना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

आज्ञा से,

  
(ऑकारमल राजोतिया)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त आदेश वित्त विभागी की वेबसाईट पर प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।
8. श्री नूर मोहम्मद, सहायक आबकारी अधिकारी।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव